BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 528/2024

IN THE MATTER OF:

FARUKH CHOUHAN

.... **APPLICANT**

VS

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

.... **RESPONDENT**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit of District Magistrate, Shamli, in compliance of order dated 27.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.	
2.	**Annexure R-1** A copy of the Cluster Certificate dated 23.07.2018, issued to M/s P.C. Gupta & Company	
3.	**Annexure R-2** A copy of the Cluster Certificate dated 23.07.2018, issued to M/s Shiva Buildtech Private Limited	
4.	**Annexure R-3** A copy of the report dated 06.12.2022 submitted by Sub Divisional Magistrate Kairana	
5.	**Annexure R-4** A copy of the office order dated 28.02.2023	
6.	**Annexure R-5**	

	A copy of the office order dated 21.07.2023	
7.	**Annexure R-6** A copy of letter no 6601/Kha Anu/2024-2025 dated 28.12.2024	
8.	**Annexure R-7** A copy of the report dated 23.10.2024	

Ankit Verma

FILED BY:

(ANKIT VERMA)
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST
NEW DELHI-110013.
MOB :- 09990804440
ankit.scngtup@gmail.com

Dated: 23.01.2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 528/2024

IN THE MATTER OF:

FARUKH CHOUHAN

.... **APPLICANT**

VS

STATE LEVEL ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

.... **RESPONDENT**

AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE, SHAMLI, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 27.11.2024 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Arvind Kumar Chauhan aged about 41 years, posted as District Magistrate Shamli, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am duly authorized to file the present affidavit. The deponent is well conversant with the facts and circumstances of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal, vide order dated 27.11.2024, was pleased to issue following directions:

".....2.Learned Counsel for the State of UP also seeks two weeks to file reply on behalf of the District Magistrate, Shamli.

3. List on 27.01.2025."

4. That the present affidavit is being filed in compliance of the order dated 27.11.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

5. That the deponent is posted as District Magistrate Shamli since 15.09.2024.

4. That the present Original Application has been filed alleging that the Respondent No. 6 i.e. M/s P.C. Gupta & Company is carrying out illegal mining, which is in complete violation of the provisions of Sustainable Sand Mining Guidelines, 2016 and Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 and in non-compliance of several general and specific conditions laid down in Environment Clearance.

6. That the Respondent No. 6 was granted mining permission for a period of 5 years from 01.02.2022 till 31.12.2026, for excavation of ordinary sand from Yamuna River Bed situated at Gata No. 621ma, 622ma in Mandawar Village (Khand3), Kairana Tehsil Shamli District Uttar Pradesh of 203400 cubic meters per year.

7. That after issuance of Letter of Intent (LOI) to the Respondent No. 6, Cluster Certificate was issued by the office of the deponent through Mines Inspector Shamli (Mining Department) vide its letter no. 2073/khavi/2018, dated 23.07.2018. A copy of the Cluster Certificate dated 23.07.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**.

8. That another mining permission was granted to M/s Shiva Buildtech Private Limited, through its Director Mr. Ashok Kumar Jain, R/o 474, Sector 14, Gurgaon, Haryana- 122001,

(Respondent No. 7) for excavation of ordinary sand from Yamuna River Bed situated at Gata No. 621ma, 622ma in Mandawar Village (Khand3),Kairana Tehsil Shamli District Uttar Pradesh of 203400 cubic meter per year, for a period of 5 years 01.02.2022 till 31.12.2026.

9. That after the issuance of Letter Of Intent (LOI) to M/s Shiva Buildtech Private Limited (Respondent No. 7), Cluster Certificate was issued by the office of the deponent through Mines Inspector Shamli (Mining Department) vide its letter no. 2073/khavi/2018, dated 23.07.2018. A copy of the Cluster Certificate dated 23.07.2018 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

10. That the Cluster Certificates which was issued by the office of the deponent clearly mentions that another mining area is situated in 20.34 hectares, which is more than five hectares and falls under B-1 Category of the EIA Notification. The Environment Clearance Certificate granted by SEIAA UP is in accordance with the stipulated guidelines as laid down in Ministry Notifications dated 14.09.2006 and 15.01.2016 as amended.

11. That the Sub Divisional Magistrate Kairana, vide his office letter No. 500/ST-2022, dated 06.12.2022, informed the office of the deponent that on 05.12.2022, the Sub Divisional Magistrate along with the officials of the Revenue Department inspected the 2 (two) mining areas i.e. Gata No. 621ma, 622ma in Mandawar Village, Kairana Tehsil Shamli District Uttar Pradesh, wherein, during the inspection it was observed that the Respondent No. 6 has carried out illegal mining of sand in night by excavating sand of about 17705 Cubic Meters from 2 (Two) Khasra No. 557 and 558 situated

in Village- Isopur Khurgan, Pargana and Tehsil Kairana, District- Shamli, due to which huge loss has been caused to the State Government.

12. That the Sub Divisional Magistrate- Kairana in its report dated 06.12.2022, further recommended that appropriate punitive action and penalty may be imposed upon the project proponent (Respondent No. 6) for carrying out such illegal activity. A copy of the report dated 06.12.2022 submitted by Sub Divisional Magistrate Kairana is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

13. That the office of the deponent acting on the report/ complaint submitted by the Sub Divisional Magistrate, took immediate cognizance and issued a show cause notice to the Respondent No. 6, as to why penalty shall not be imposed for illegal excavation of sand which was done outside the permissible mining area as given in the Environment Clearance Certificate. The said show cause notice was served upon the Respondent No. 6 on 08.12.2022, by Tehsildar Kairana.

14. That the representative of Respondent No. 6 (Mr. Gaurav Kumar) through his representation dated 14.12.2022 informed that he has not conducted any illegal mining activity in night from any other Gata number. He has further submitted that the Gata numbers which have been inspected by the Joint Team, illegal excavation of sand has been done by few villagers. He has further submitted that he has conducted mining operations within his demarcated mining area.

15. That not being satisfied with the explanation rendered by the representative of the Respondent No. 6, the erstwhile District Magistrate- Shamli, imposed a penalty of Rs. 74,

94,950/- (Rupees Seventy Four Lacs Ninety Four Thousand Nine Hundred Fifty Only), for violation of U.P. Mineral Minor Concession Rules, 1957 and terms of the Lease Deed, vide office order no. 5595/Khavi-2022-23 dated 28.02.2023. A copy of the office order dated 28.02.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

16. That since the Respondent No. 6 did not deposited the amount of penalty imposed upon him vide office order dated 28.02.2023, the deponent issued an office order no. 15/khavi-vasooli (adhiropit dhanrashi)/2022-23, dated 21.07.2023 for recovery of Rs. 74, 94,950/- (Rupees Seventy Four Lacs Ninety Four Thousand Nine Hundred Fifty Only) against the Respondent No. 6, as arrears of land revenue. A copy of the office order dated 21.07.2023 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5.**

17. That the office of the deponent (mining department) again sent a reminder letter no 6601/Kha Anu/2024-2025 dated 28.12.2024, to the Collector Vasant Kunj South West New Delhi requesting for taking steps for recovering the penalty which was imposed upon Respondent No.6 vide office order dated 28.02.2023. A copy letter no 6601/Kha Anu/2024-2025 dated 28.12.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-6.**

18. That pursuant to the office order no. 6468/khavi-2024 dated 08.10.2024, issued from the office of the deponent, the officials from the Mines and Revenue Department of the District – Shamli, conducted the survey of Gata No. 621ma, 622ma in Mandawar Village (Khand 4),Kairana Tehsil Shamli District Uttar Pradesh and identified the coordinates of the Gata Numbers where mining permissions have been granted in the presence of the representatives of Respondent No. 6.

The work of demarcation through pillars has also been done. A copy of the report dated 23.10.2024 is annexed herewith and marked as **Annexure R-7.**

19. That the deponent herein undertakes before this Hon'ble Tribunal that he will ensure that no mining activity is undertaken in violation of the Environmental Clearance conditions by the lease holders at gata No. 621ma and 622ma at Yamuna River bed, Mandawar, Shamli, Uttar Pradesh, and further it will ensure that prompt and strict penal action in accordance with law will be taken against the persons who indulge in illegal mining activities, in District- Shamli.

20. That in the interest of justice the present affidavit may be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY GOVT. OF INDIA Satyapal Singh Kashyap NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2013 23/1/25

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Tehsil Compound on 23/01/2025... that the contents of the paras 1 to of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

552

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP53753357388292X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP53753357388292X
Certificate Issued Date	:	18-Jan-2025 01:05 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14876204/ SHAMLI SADAR/ UP-SML
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1487620404521036519363X
Purchased by	:	JILA ADHIKARI SHAMLI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	JILA ADHIKARI SHAMLI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	JILA ADHIKARI SHAMLI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Signature of Deponent

मैं घोषणा करता हूँ कि शपथकर्ता को जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर आज मेरे व नोटरी के सामने अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी किया है।

ATTESTED

Satya Pal Singh Kashyap
Notary/advocate
District Shamli

NOTARIAL NOTARIAL

 Annexure R-1

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) जनपद शामली

पत्रांक :– 273 / ख0वि0–2018 दिनांक 23–07–2018

क्लस्टर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी / 90643, निवासी–डी–2, 2116 वंसत कुंज नई दिल्ली–110070 को संख्या–1983 / ई–नि0 सह ई–नी0–सहमति–पत्र / मण्डावर–4, दिनांक 07–06–2018 के माध्यम से गाटा सं0–621म व 622म, ग्राम मण्डावर–4 तहसील कैराना जनपद शामली हेतु कुल क्षे0 20.34 हे0 खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में सहमति पत्र (एल0ओ0आई0) निर्गत किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2000 (यथा संशोधित) / ई0आई0ए0 अधिसूचना 15–01–2016 के परिशिष्ट–11 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त खनन क्षेत्र का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र की स्थिति निम्नवत है :–

अ) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में निम्नांकित खनन क्षेत्र है :–

(1) गाटा संख्या–621म व 622म ग्राम मण्डावर, खण्ड–3, खनन क्षेत्र रकबा 20.34 हे0 है।

उक्त खनन क्षेत्र का कुल योग 40.68 है0 है, जो कि 25 है0 अथवा 25 है0 से अधिक है परन्तु 50 है0 से कम है। अतः ई0आई0ए0 अधिसूचना 15–01–2016 के परिशिष्ट–11 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 25 है का क्लस्टर बनता है। सम्बन्धित प्रकरण ई0आई0ए0 की श्रेणी बी–1 आच्छादित होता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में ई0आई0ए0ए0 भारत सरकार / एस0ई0आई0ए0ए0 / डी0ई0आई0ए0ए0 से निर्गत पूर्व–पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के गाटा / खण्ड सं0 को सम्मिलित कर लिया गया है एवं उक्त प्रमाण पत्र ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006(यथा संशोधित) / अधिसूचना 15–01–2016 के परिशिष्ट–11 के प्राविधानों के अनुसार है।

NOTARY GOVT. OF INDIA NOTARY ADVOCATE DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012 03/01/25

खान निरीक्षक,
शामली।

 Annexure R-2

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) जनपद शामली

पत्रांक :-2073/ख0वि0–2018

दिनांक 23-07-2018

क्लस्टर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि SHIVA BUILDTECH PVT LTD/92442 Address:419 AAPKA BAZAR GURGAON Contact Person: ASHOK JAIN Telephone No. 9355774459 को संख्या–2019/ई–नि0 सह ई–नी0–सहमति–पत्र/मण्डावर–3, दिनांक 19–07–2018 के माध्यम से गाटा सं0–621म व 622म, ग्राम मण्डावर–3 तहसील कैराना जनपद शामली हेतु कुल क्षे0 20.34 हे0 खनन क्षेत्र के सम्बन्ध में सहमति पत्र (एल0ओ0आई0) निर्गत किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2000 (यथा संशोधित)/ई0आई0ए0 अधिसूचना 15–01–2016 के परिशिष्ट–11 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त खनन क्षेत्र का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार प्रश्नगत खनन क्षेत्र की स्थिति निम्नवत है :–

अ) प्रश्नगत खनन क्षेत्र की परिधि से 500 मीटर की दूरी में निम्नांकित खनन क्षेत्र है :–

(1) गाटा संख्या–621म व 622म ग्राम मण्डावर, खण्ड–4, खनन क्षेत्र रकबा 20.34 हे0 है।

उक्त खनन क्षेत्र का कुल योग 40.68 है0 है, जो कि 25 है0 अथवा 25 है0 से अधिक है परन्तु 50 है0 से कम है। अतः ई0आई0ए0 अधिसूचना 15–01–2016 के परिशिष्ट–11 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार 25 है का क्लस्टर बनता है। सम्बन्धित प्रकरण ई0आई0ए0 की श्रेणी बी–1 आच्छादित होता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में ई0आई0ए0ए0 भारत सरकार/एस0ई0आई0ए0ए0/डी0ई0आई0ए0ए0 से निर्गत पूर्व–पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के गाटा/खण्ड सं0 को सम्मिलित कर लिया गया है एवं उक्त प्रमाण पत्र ई0आई0ए0 अधिसूचना, 2006(यथा संशोधित)/अधिसूचना 15–01–2016 के परिशिष्ट–11 के प्राविधानों के अनुसार है।

NOTARY GOVT. OF INDIA NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012 23/01/25

खान निरीक्षक,
शामली।

Annexure R-3

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कैराना (शामली)।

पंत्राक 500/एस0टी0– 2022 दिनांक–06 .12.2022

जिलाधिकारी/खनन अधिकारी,
शामली।
महोदया,

ग्राम मंडावर परगना व तहसील कैराना, जनपद शामली में स्थित खसरा नं0 621म व 622म क्षेत्रफल 20.340हे0 भूमि को पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजीलाल गुप्ता, निवासी डी0–02/2116 बसन्त कुंज न्यू दिल्ली को आगामी 05 वर्ष के लिये दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2026 तक खनन पट्टा अनुमति दी गयी है।

आज दिनांक 05.12.2022 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व टीम के साथ स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा धारक द्वारा ग्राम इस्सोपुर खुरगान परगना व तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित खसरा नं0 खसरा नं0 557मि मे से 13815 घनमीटर व खसरा नं0 558मि मे से 3890 घनमीटर कुल 17705 घनमीटर का खनन रात्रि के समय अवैध तरीके से कर लिया गया है, जिससे राज्य सरकार को हानि हुई है।

अतः उपरोक्त लिखित खनन पट्टे धारक के विरूद्ध अवैध खनन करने के कारण रॉयल्टी वसूल किये जाने तथा दण्डात्मक कार्यवाह किये जाने की संस्तुति सहित आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी,
कैराना।
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्
कैराना (शामली)

NOTARY
Satyapal Singh Kashyap
NOTARY ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA

New Letter

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग), शामली।

संख्याः 5595 /ख0वि0–2022–23, दिनांक 28–02–2023

–: आदेश :–

उप जिलाधिकारी कैराना की आख्या संख्या 500/एस0टी0–2022 दिनांक 06–12–2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम मंडावर परगना व तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित खसरा नं0 621म व 622म क्षेत्रफल 20.340 हे0 भूमि को पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजीलाल गुप्ता, निवासी डी0–02/2116 बसन्त कुंज न्यू दिल्ली को आगामी 05 वर्ष के लिए दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2026 तक खनन पट्टा अनुमति दी गयी है। दिनांक 05.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा राजस्व टीम के साथ स्थलीय जांच की गयी। जांच के समय खनन पट्टा धारक द्वारा ग्राम इस्सोपुर खुरगान परगना व तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित खसरा नं0 557मि में से 13815 घनमीटर व खसरा नं0 558मि में से 3890 घनमीटर कुल 17705 घनमीटर का खनन रात्रि के समय अवैध तरीके से कर लिया गया है। जिससे राज्य सरकार को हानि हुई है। उपरोक्त लिखित खनन पट्टे धारक के विरूद्ध अवैध खनन करने के कारण रायल्टी वसूल किये जाने तथा दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

उप जिलाधिकारी कैराना की आख्या दिनांक 06–12–2022 पर संज्ञान लेते हुए पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल गुप्ता, निवासी डी0 2/2116 बसंत कुंज न्यू दिल्ली (पट्टेधारक खनन क्षेत्र ग्राम मण्डावर खण्ड–4 तहसील कैराना) को स्पष्टीकरण नोटिस प्रदत्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आप स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, कि क्यूं न आप स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर 17705 घनमीटर साधारण बालू का अपने निर्धारित क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किये जाने के फलस्वरूप रायल्टी अंकन 65×17705 = 11,50,825/–रूपये, **खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21** के अनुसार खनिमुख मूल्य (रायल्टी का पॉच गुना) 57,54,125/– रूपये, कुल अंकन 69,04,950/– रू0 की धनराशि के अतिरिक्त नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित कर दी जाये। नियत अवधि के अन्दर आपका स्पष्टीकरण प्राप्त न होने अथवा संतोषजनक न पाये जाने की दशा में उक्त प्रस्तावना को अंतिम रूप देते हुये उक्त प्रस्तावित रायल्टी, खनिमुख मूल्य को अधिरोपित करते हुये उसकी नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

NOTARY Satyapal Singh Kashyap NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012 GOVT. OF INDIA 23/04/25

पट्टेधारक को उक्त स्पष्टीकरण नोटिस दिनांक 08–12–2022 की तामील तहसीलदार कैराना द्वारा खनन क्षेत्र में (मण्डावर खण्ड–4) में जाकर करायी गयी। उक्त के स्पष्टीकरण नोटिस के क्रम में पट्टेधारक के प्रतिनिधि श्री गौरव कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 14–12–2022 में मुख्यतः अवगत कराया गया है कि महोदय हमारे खनन क्षेत्र में कोई बालू का अवैध खनन नहीं किया गया हैं। जिन गाटा सं0 की जॉच की गयी हैं, उनमें से 150–200 लोग बैलगाड़ी बुग्गी में रेत लेकर जाने वाले लोगो द्वारा खनन किया गया हैं। अवैध खनन करने वाले व्यक्ति जो आस पास के गांव से ही है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वीकृत पट्टे में दर्ज खसरा नं0 621म व 622म के अलावा किसी अन्य खसरा नम्बर से रेत खनन का कार्य नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार कर नोटिस दिनांक 08–12–2022 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थी/पट्टेधारक को अपने बचाव हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद पट्टेधारक द्वारा अपने बचाव में कोई संतोषजनक उत्तर एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिससे अवैध बालू खनन किया जाना सिद्ध न हो।

पत्रावली पर उप जिलाधिकारी कैराना की आख्या दिनांक 06–12–2022 के अनुसार मैसर्स पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल गुप्ता, निवासी डी0 2/2116 बसंत कुंज न्यू दिल्ली (पट्टेधारक खनन क्षेत्र ग्राम मण्डावर खण्ड–4 तहसील कैराना) द्वारा अपने सीमाकिंत क्षेत्र से बाहर जाकर ग्राम इस्सोपुर खुरगान परगना व तहसील कैराना जनपद शामली में स्थित खसरा नं0 557मि में से 13815 घनमीटर व खसरा नं0 558 मि में से 3890 घनमीटर कुल 17705 घनमीटर बालू का अवैध खनन किये जाने पर 65/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से देय रायल्टी अंकन रूपये 11,50,825/–रूपये, **खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21** के अनुसार खनिमुख मूल्य (रायल्टी का पॉच गुना) 57,54,125/– रूपये, के अतिरिक्त अवैध खनन किये जाने के कारण **खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 (2)** के अन्तर्गत अंकन 5,00,000/– रूपये सहित कुल अंकन 74,04,950/–रूपये की धनराशि अधिरोपित किया जाता है।

क्रमशः............2

साथ ही मैसर्स पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल गुप्ता, निवासी डी0 2/2116 बसंत कुंज न्यू दिल्ली (पट्टेधारक खनन क्षेत्र ग्राम मण्डावर खण्ड–4 तहसील कैराना) पर अंकन 74,04,950/— रू0 (चौहत्तर लाख चार हजार नो सौ पचास रूपये मात्र) रायल्टी व खनिमुख मूल्य व अर्थदण्ड की धनराशि अधिरोपित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित धनराशि को एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित मद–"0853 अलौह धातुखनन एवं खनिकर्म उद्योग–102" में जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि में रायल्टी की धनराशि जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नही करायी जाती है, तो उपरोक्त देय रायल्टी की वसूली भू–राजस्व की बकाया की भॉति वसूल कर ली जायेगी।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी,
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कैराना को दो प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि एक प्रति मैसर्स पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल गुप्ता, निवासी डी0 2/2116 बसंत कुंज न्यू दिल्ली (पट्टेधारक खनन क्षेत्र ग्राम मण्डावर खण्ड–4 तहसील कैराना) को सतिथि तामील कराकर दूसरी हस्ताक्षरयुक्त तामीला प्रति अभिलेखार्थ इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

NOTARY
NOTARY ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA
23/1/25

जिलाधिकारी,
शामली।

 Annexure R-5

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

संख्याः 15 /ख0वि0–वसूली (अधिरोपित धनराशि)/2022–23, दिनांक 21 –07–2023

कलेक्टर,
बसन्त कुंज न्यू दिल्ली।

निम्न व्यक्ति के नाम से अवैध बालू खनन में अधिरोपित रायल्टी व अर्थदण्ड की बकाया धनराशि की वसूली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–59 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत भू–राजस्व के बकाया की भॉति कराकर धनराशि लेखा शीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अर्न्तगत जमा कराकर चालान की एक प्रति मय वसूली प्रमाण पत्र सहित शीघ्र वापिस कराना सुनिश्चित करें।

1– नाम बाकीदार	– मैसर्स पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, प्रो0 प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र चिरंजी लाल गुप्ता।
2– पता	–निवासी सेक्टर–डी पोकेट–2/2116 बसंत कुंज न्यू दिल्ली।
3– बकाया का विवरण	– खनन क्षेत्र/सीमांकित एरिया से बाहर अवैध बालू का खनन किये जाने के कारण बालू खनन की रायल्टी, खनिमुख मूल्य व अर्थदण्ड।
4–बकाया रायल्टी की धनराशि	– 74,04,950/– रू0 (चौहत्तर लाख चार हजार नो सौ पचास रूपये मात्र)।

NOTARY GOVT. OF INDIA Satyapal Singh Kashyap NOTARY ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2013

DISTRICT MAGISTRATE खनन अनुभाग शामली SHAMLI (UP)

RL Singh 21-7-23
जिलाधिकारी,
शामली।

Annexure-R-6

कार्यालय जिलाधिकारी (खनन अनुभाग) शामली।

संख्याः 6601 /ख0अनु0/2024-25, दिनांक 28-12-2024

विषयः- उपखनिज के अवैध खनन में अधिरोपित धनराशि की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में।

कलेक्टर,
बसन्त कुंज साउथ वेस्ट न्यू दिल्ली।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्यालय के पत्र संख्या-15/ख0वि0-वसूली (अधिरोपित धनराशि)/2022-23 दिनांक 21-07-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवैध बालू खनन में अधिरोपित रायल्टी व अर्थदण्ड की बकाया धनराशि अंकन 74,04,950/-रूपये (चौहत्तर लाख चार हजार नो सौ पचास रूपये मात्र) की वसूली उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-59 में दिये गये प्राविधानों के अर्न्तगत भू-राजस्व के बकाया की भॉति मैसर्स पी0सी0 गुप्ता एण्ड कम्पनी, प्रो0 श्री प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र श्री चिंरजी लाल गुप्ता, निवासी-2116, सेक्टर-डी0 पोकेट-2 वसंत कुंज, साउथ वेस्ट, दिल्ली-110070 से कराकर धनराशि लेखा शीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अर्न्तगत जमा कराकर चालान की एक प्रति मय वसूली प्रमाण पत्र सहित वापस करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रकरण में अभी तक बकाया धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में सूचना अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वसूली प्रमाण पत्र में निहित धनराशि की वसूली कराते हुये वसूली की गयी धनराशि खनन विभाग के सम्बन्धित लेखा शीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग के अर्न्तगत जमा कराकर चालान की एक प्रति मय वसूली प्रमाण पत्र सहित वापस कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- वसूली प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

NOTARY GOVT. OF INDIA Satyapal Singh Kashyap NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012 23/01/25

(संतोष कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
शामली।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
शामली।

Annexure-R-7

पत्रांक-1500/ST

संयुक्त सीमांकन आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी शामली के पत्र संख्या–6468/ख0वि0–2024 दिनांक 08.10.2024 को खनन पट्टाधारक मैसर्स–पी.सी. गुप्ता एण्ड कम्पनी प्रो0 प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र श्री चिरंजी लाल गुप्ता पता डी–2/2116 बसन्त कुंज न्यू दिल्ली–110070 के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री जोनेश पुत्र श्री सुरजीत निवासी चमराडा जिला पानीपत हरियाणा की उपस्थिति में खनन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जनपद शामली की तहसील कैराना के खनन क्षेत्र ग्राम मण्डावर खण्ड–4 के गाटा संख्या–621म व 622म क्षे0 20.34 है0 का सीमांकन सिंचाई विभाग के बन्धा व ठोकर के समीप गाटा संख्या–617 से सीमांकन को सन्दर्भ बिन्दू मानकर उत्तर प्रतिस्थापित करते हुये किया गया, सन्दर्भ बिन्दू खनन विभाग व राजस्व टीम द्वारा मौके पर चिहिन्त किया गया,मौके पर उपस्थित पट्टाधारक मैसर्स–पी.सी. गुप्ता एण्ड कम्पनी प्रो0 प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र श्री चिरंजी लाल गुप्ता पता डी–2/2116 बसन्त कुंज न्यू दिल्ली–110070 के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री जोनेश को सीमांकित क्षेत्र के चिन्हाकिंत बिन्दुओं पर सीमास्तम्भ मौके पर ही लगा दिये गये है। क्षेत्र के सीमास्तम्भों के कोर्डिनेटस निम्न प्रकार है,मौके की उपस्थिति पत्र व फोटोग्राफ्स साथ में संलग्न है।

Name of Pillars	Latitude	Longitude
A	29°27'21.79" N	77°08'15.08" E
B	29°27'02.61" N	77°08'00.83" E
C	29°27'08.14" N	77°07'51.91" E
D	29°27'26.29" N	77°08'08.19" E
E	29°27'09.49" N	77°08'25.03" E
F	29°27'14.84" N	77°08'24.46" E
G	29°27'15.02" N	77°08'28.28" E
H	29°27'16.66" N	77°08'28.45" E
I	29°27'14.95" N	77°08'26.02" E
J	29°27'21.36" N	77°08'15.07" E
K	29°27'19.05" N	77°08'14.75" E

NOTARY GOVT. OF INDIA
Satyapal Singh Kashyap
NOTARY ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
23/1/25

उपरोक्तानुसार सीमांकन आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(पी.सी. गुप्ता एण्ड कम्पनी)
प्रतिनिधि जोनेश

23-10-2024
सर्वे लेखपाल
मण्डावर–4

23/10/24
खान निरीक्षक/खान अधिकारी
शामली।

उपजिलाधिकारी
कैराना–शामली।

उपस्थिति पत्र

आज दिनांक 23-10-024 को ग्राम मण्डावर में आकर खनन पट्टा मण्डावर के खण्ड-4 के खसरा नम्बर 621मि व 622मि की रकबा 20-34 हे० भूमि जो कि मै० पी०सी० गुप्ता एण्ड कम्पनी के पक्ष में 5 वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत है। जिस पर राजस्व टीम व खान अधिकारी शामली व खनन पट्टा मै० पी०सी० गुप्ता के द्वारा प्रतिनिधि की उपस्थिति में खनन के पिलर लगवाये गये जिनके हस्ताक्षर निम्न है।

ह०
23-10-024

NOTARY
Satyapal Singh Kashyap
NOTARY ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA
23/01/25

दिलशाद

महताब जौसर

शमशाद सद्दाम

नासिर दिलशाद

अरशद

ग्राम मण्डावर खण्ड-4

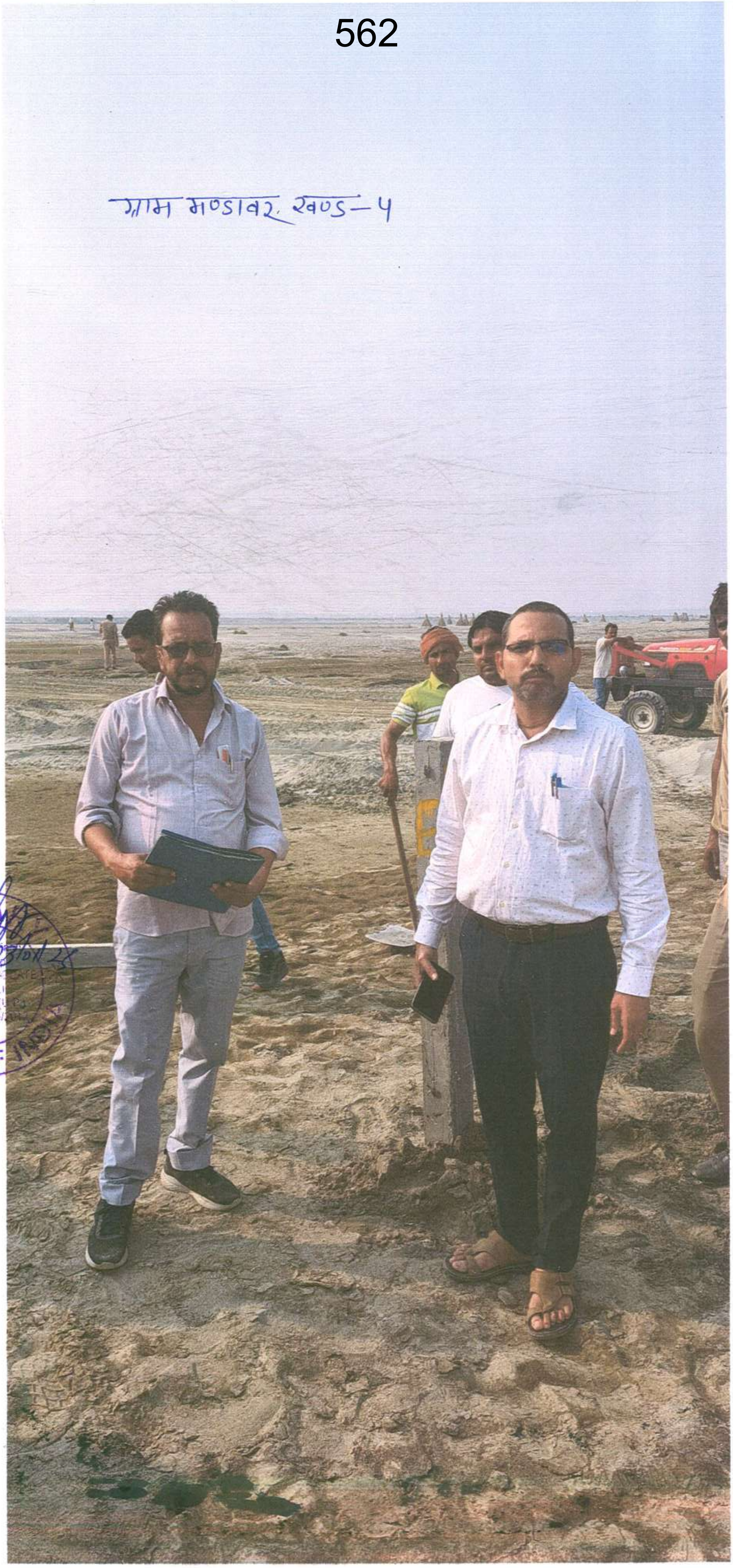

NOTARY
GOVT. OF INDIA
DISTRICT (U.P.)

ग्राम मण्डावर खण्ड-५

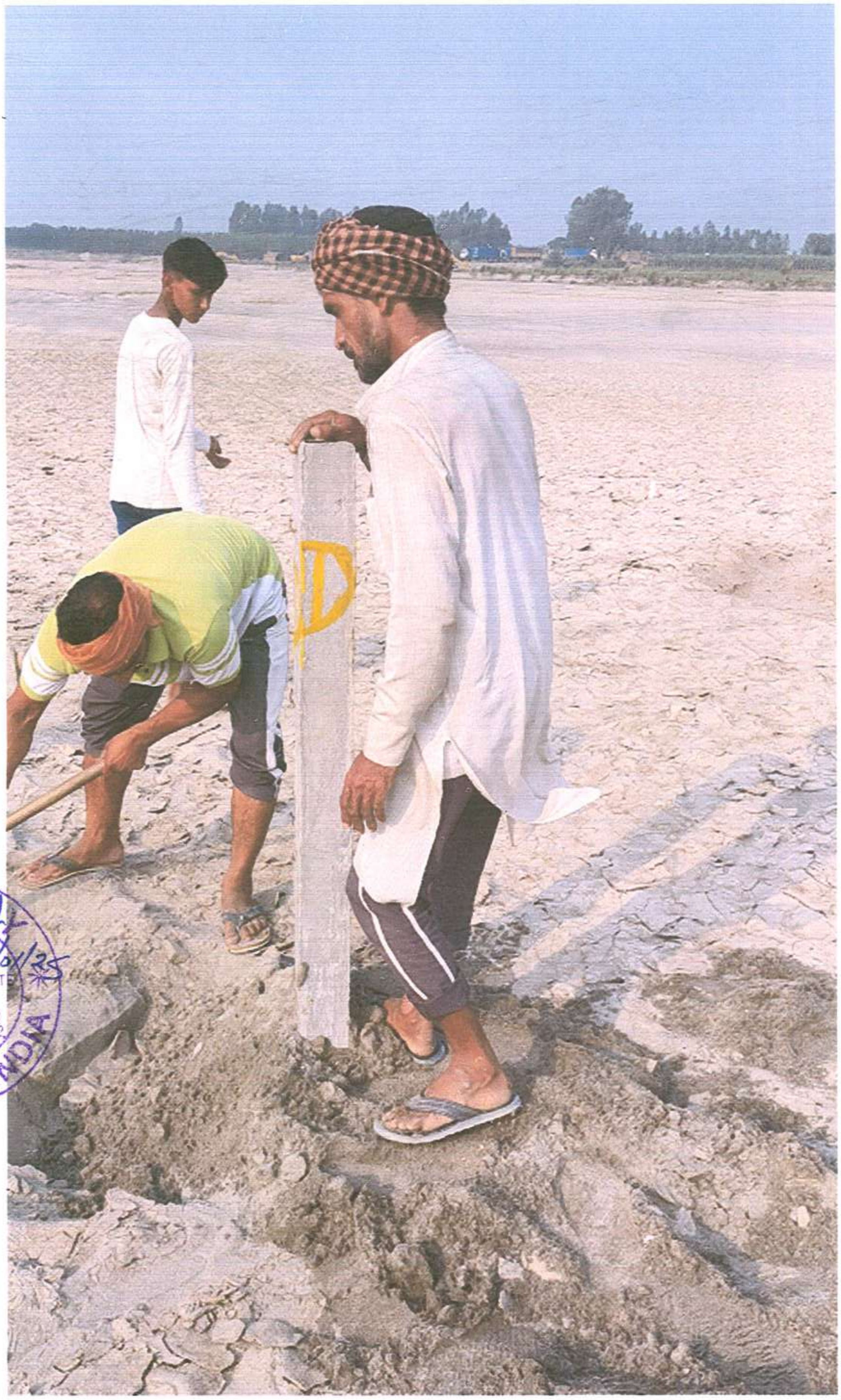

NOTARY
Satyapal Singh Kashyap
23/01/25
NOTARY/ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA

ग्राम मण्डावर खण्ड-५

NOTARY
GOVT. OF INDIA

ग्राम मण्डावर खण्ड-4

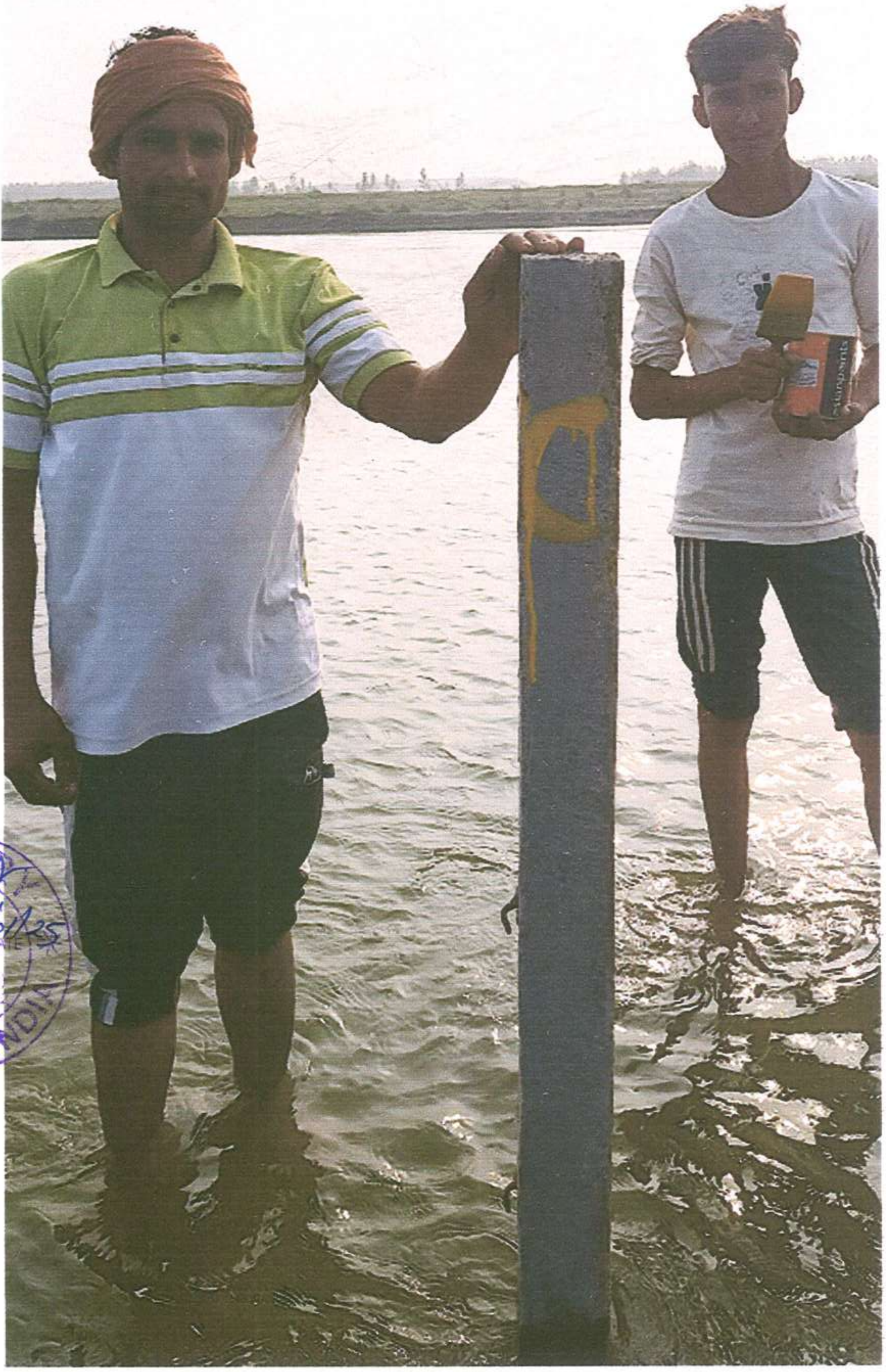

NOTARY
Satyapal Singh
NOTARY ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA
23/01/25

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
भारत सरकार
Unique Identification Authority of India
Government of India

नामांकन क्रम / Enrollment No. : 2706/10469/02333

To
ARVIND KUMAR CHAUHAN
अरविन्द कुमार चौहान
SU 30 TECH FLT
AIR FORCE STATION TEZPUR
Goraimari (Nlz)
Shalonibari,Charidurar,Sonitpur,
Assam - 784104
9455272625

21/02/2014

81592023

KA815920231FH

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारत सरकार
Government of India

अरविन्द कुमार चौहान
ARVIND KUMAR CHAUHAN

पुरुष / Male

मेरा आधार, मेरी पहचान